

त्रिपुरा में शांति समझौता

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार, त्रिपुरा की राज्य सरकार और दो प्रमुख उग्रवादी समूहों अर्थात् नेशनल लबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (NLFT) व ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ATTF) ने राज्य में हिसा को समाप्त करने के लिये एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये।

- इस समझौते से राज्य का 35 साल पुराना संघर्ष समाप्त हो जाएगा और हिसा का परित्याग कर समृद्ध त्रिपुरा के निर्माण की प्रतबिद्धता व्यक्त की जाएगी।

शांति समझौते की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- सशस्त्र कैंडरों का पुनः एकीकरण: NLFT और ATTF के 328 से अधिक सशस्त्र कैंडर आत्मसमर्पण करेंगे और समाज में पुनः एकीकृत होंगे।
- वित्तीय पैकेज: त्रिपुरा की जनजातीय आबादी के विकास के लिये 250 करोड़ रुपए के विशेष वित्तीय पैकेज को स्वीकृत दी गई है।
- व्यापक पहल: यह एक बड़े प्रयास का हिस्सा है, जिसके तहत वर्ष 2014 से 2024 के दौरान पूर्वोत्तर में 12 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए, जिनमें से 3 समझौते त्रिपुरा से संबंधित हैं।

NLTF और ATTF

- नेशनल लबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (NLFT) का गठन वर्ष 1989 में हुआ था।
- NLFT का कथित उद्देश्य 'भारतीय नव-उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद' से मुक्ति के बाद सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से एक 'स्वतंत्र त्रिपुरा' की स्थापना करना तथा एक 'वशिष्ट एवं स्वतंत्र पहचान' को आगे बढ़ाना है।
- नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और संकीर्ण धार्मिक विचारों के कारण NLFT के भीतर कई विभाजन हुए।
- इसे अप्रैल 1997 में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था और आतंकवाद नरोधक अधिनियम (Prevention of Terrorism Act- POTA), 2002 के तहत भी प्रतबिद्धि किये गए हैं।
- NLFT फरवरी 2001 में दो समूहों में विभाजित हो गया, एक का नेतृत्व बसिन्मोहन देबबर्मा और दूसरे का नयनबासी जमातिया ने किया।
- त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ATTF) की स्थापना वर्ष 1990 में हुई थी।
- यह मतदाता सूची से अवैध प्रवासियों को हटाने और वर्ष 1949 के त्रिपुरा वलिय समझौते को लागू करने की मांग करता है।
- यह उत्तर और दक्षिण त्रिपुरा जिलों में सक्रिय था तथा वर्ष 1991 तक एक दुर्येय आतंकवादी समूह के रूप में उभरा।
- इसे अप्रैल 1997 में गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत प्रतबिद्धि कर दिया गया था।

त्रिपुरा में सरकार और वदिरोही समूहों के बीच शांति समझौते का क्या महत्त्व है?

- शांति और स्थिरता की पुनर्स्थापना: हिसा को समाप्त करने का संकल्प लेने वाले सशस्त्र समूह व हिसा के चक्र को तोड़ने के साथ ही विकास के लिये एक सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से त्रिपुरा में शांति एवं स्थिरता की दृष्टि में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- मुख्यधारा में एकीकरण: यह समझौता जनजातीय समुदायों के बीच अलगाव के मुद्दों को हल करते हुए पूर्व वदिरोहियों को मुख्यधारा में एकीकृत करने की सुविधा प्रदान करता है। यह इन व्यक्तियों को समाज में सकारात्मक योगदान देने का अवसर प्रदान करता है।
- विकास पहल: केंद्र सरकार ने त्रिपुरा में जनजातीय आबादी के लिये एक विशेष विकास पैकेज को मंजूरी दी है। यह वित्तीय प्रतबिद्धता भविष्य में संघर्षों को रोकने की रणनीति के रूप में सामाजिक-आर्थिक विकास पर सरकार के विचार को उजागर करती है।
- सांस्कृतिक संरक्षण: यह समझौता पूर्वोत्तर के जनजातीय समूहों की सांस्कृतिक विरासत, भाषाओं और पहचान के संरक्षण का समर्थन करता है। यह इन आबादी के बीच अपनेपन और समुदाय की दृढ़ भावना को बढ़ावा देने के लिये महत्वपूर्ण है।

त्रपुरा सहति पूरवोत्तर भारत में उग्रवाद के क्या कारण हैं?

- **अंतर-जनजातीय संघर्ष:** जनजातीय समूहों, विशेष रूप से जमातिया की धार्मिक संरचना में परिवर्तन ने नए अंतर-जनजातीय तनावों को बढ़ावा दिया, जिससे मौजूदा जनजातीय-गैर आदवासी संघर्ष और भी जटिल हो गए।
- **जनसांख्यिकीय परिवर्तन:** वर्ष 1947 के बाद **पूर्वी पाकस्तान (अब बांग्लादेश)** से बड़े पैमाने पर पलायन ने त्रपुरा की जनसांख्यिकीय स्वरूप को बदल दिया, जिससे मुख्य रूप से आदवासी क्षेत्र बंगाली भाषी मैदानी लोगों के वरचस्व वाले क्षेत्र में बदल गया। **इस्लामसांख्यिकीय उलटफेर ने स्थानीय जनजातियों के बीच असंतोष** को बढ़ावा दिया।
- **मज़ोरम उग्रवाद से नकटता:** मज़ोरम से त्रपुरा की भौगोलिक नकटता के कारण राज्य को उग्रवाद के "दुष्प्रभावों" का सामना करना पड़ा, जिससे स्थानीय तनाव और बढ़ गया।
- **वदिरोही समूहों का गठन:** भूमि और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर असंतोष के कारण वर्ष 1971 में **त्रपुरा उपजाति जुबा समिति (TUJS)**, 1981 में **त्रपुरा नेशनल वॉलंटियर्स (TNV)** और वर्ष 1989 में **नेशनल लबरेशन फ्रंट ऑफ त्रपुरा (NLFT)** जैसे वदिरोही समूहों का गठन हुआ, जिसने उग्रवाद को तीव्र कर दिया।
- **आर्थिक कारक:** पूरवोत्तर भारत में विकास की कमी और सीमिति आर्थिक अवसरों, विशेष रूप से युवाओं के लिये, ने व्यापक गरीबी और बेरोज़गारी को उत्पन्न किया है, जिसने वदिरोही संगठनों को आकर्षित किया है, जो सामाजिक स्थिति व नरिवाह के साधन प्रदान करते हैं।
- **भौगोलिक कारक:** त्रपुरा सहति उत्तर-पूर्वी क्षेत्र अपनी 98% सीमाओं को अन्य देशों के साथ साझा करता है, जो शेष भारत के साथ कमज़ोर भौगोलिक संबंधों को उजागर करता है।
 - उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जनसंख्या, राष्ट्रीय जनसंख्या का केवल 3% है, वर्ष 1951 से वर्ष 2001 तक इसमें 200% से अधिक की वृद्धि हुई, जिससे आजीविका और भूमि संसाधनों पर दबाव पड़ा।
- **जनजातीय भूमि का नुकसान:** आदवासियों को उनकी कृषि भूमि से वंचित किया गया, अक्सर उन्हें बहुत कम कीमत पर बेचा गया और वनों में भेज दिया गया, जिससे व्यापक आक्रोश और तनाव उत्पन्न हुआ। भूमि का वंचन उग्रवाद का एक प्रमुख चालक बन गया।
- **राजनीतिक कारक:** त्रपुरा जातीय समुदायों सहति पूरवोत्तर भारत कभी-कभी भौगोलिक दूरी और सीमिति राजनीतिक प्रतिनिधित्व के कारण केंद्र सरकार द्वारा उपेक्षित महसूस करता है, जिससे उनकी सांस्कृतिक पहचान और संसाधनों की रक्षा के लिये स्वायत्तता की मांग बढ़ जाती है।

त्रपुरा सहति उत्तर पूर्व भारत में शांति स्थापति करने के लिये सरकार की पहल क्या हैं?

- **संवाद और समझौता वार्ता:** सरकार ने विभिन्न उग्रवादी समूहों के साथ कई शांति समझौतों पर समझौता वार्ता की और हस्ताक्षर किये, जिससे उग्रवादियों के आत्मसमर्पण एवं स्वायत्त परिषदों का गठन हुआ। उदाहरण: हाल ही में सरकार और उग्रवादी समूहों **NLFT एवं ATTF** के बीच हस्ताक्षरित शांति समझौता।
- **महत्त्वपूर्ण समझौते:**
 - **नगा शांति समझौता:** भारत सरकार और नेशनल सोशलसिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (के)/नकी समूह के बीच संघर्ष वरिम समझौते को एक वर्ष के लिये, सितंबर, 2024 से सितंबर, 2025 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे **नगा शांति समझौते** को और आगे बढ़ाया जा सकेगा।
 - **असम-मेघालय सीमा समझौता, 2022:** 6 क्षेत्रों में विवादों का समाधान, असम को 18.51 वर्ग किलोमीटर और मेघालय को 18.28 वर्ग किलोमीटर आवंटित किया गया।
 - **कार्बी आंगलॉग समझौता, 2021**
 - **बोडो समझौता, 2020**
 - **बरू-रियांग समझौता, 2020**
 - **NLFT-त्रपुरा समझौता, 2019**
- **विकास पहल:** सरकार ने पूरवोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे, आर्थिक और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें **कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट** एवं **कनेक्टिविटी** में सुधार के उद्देश्य से विभिन्न रेलवे व राजमार्ग पहल शामिल हैं।
 - **पूरवोत्तर औद्योगिक विकास योजना और पूरवोत्तर क्षेत्र के लिये प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-डीवाइन)** सहति आर्थिक योजनाएँ, विकास को बढ़ावा देने के लिये बनाई गई हैं।
 - इसके अतिरिक्त **पूरवोत्तर विशेष शिक्षा क्षेत्र और कौशल भारत मिशन** जैसे प्रयास शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की दशा में हैं।
- **सांस्कृतिक और सामाजिक पहल:** सरकार क्षेत्रीय भाषाओं और सांस्कृतिक उत्सवों को बढ़ावा देती है और वरिसत को संरक्षित करने के लिये सांस्कृतिक केंद्रों का समर्थन करती है। **पूरवोत्तर परिषद, संयुक्त विकास परियोजनाओं और बेहतर कनेक्टिविटी** के माध्यम से अंतरराज्यीय सहयोग को बढ़ाया जाता है, साथ ही सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों से आपसी समझ को बढ़ावा मिलता है।
- **उत्तर पूर्व विकास के लिये अन्य पहल**
 - **बुनियादी ढाँचा:**
 - भारतमाला परियोजना
 - क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS)-उड़ान
 - **संपर्क:**
 - भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रपिकीय राजमार्ग
 - **पर्यटन:**
 - स्वदेश दर्शन योजना
 - **अन्य:**
 - डिजिटल नॉर्थ ईस्ट वज़िन 2022
 - राष्ट्रीय बाँस मिशन

त्रपुरा सहति पूरवोत्तर राज्यों में शांतिबिहारी की चुनौतियाँ क्या हैं?

- **वशुवास नरुमाण:** सरकार और पूरव वदुरोहरीयों के बीच वशुवास स्थापति करना महत्त्वपूरण है। ऐतहिसकि शकुरीयतें और अवशुवास सहयोग एवं एकीकरण पूरुयासों में बाधा डाल सकते हैं।
- **नगररानी और अनुपालन:** सशस्त्र समूहों को समाप्त करने और हसुरा को रोकने सहति समझौते की शरतों का अनुपालन सुनशुचति करने के लरुि मज़बूत नगररानी तंत्र की आवशुयकता होगी।
- **सामाजकि-आरुथकि एकीकरण:** पूरव वदुरोहरीयों को सामाजकि-आरुथकि ढाँचे में एकीकृत करना चुनौतियों से भरा है, जसुिमें परुयाप्त रोज़गार के अवसर, वुयावसायकि प्रशकुरिषण और मनोवैजुजानकि सहायता प्रदान करना शामिल है।
- **राजनीतकि गतशीलता:** त्रपुरा सहति पूरवोत्तर राज्य में राजनीतकि परदृश्य जटलि है, जसुिमें वभिनुन हतिधारक शामिल हैं। समावेशी शासन सुनशुचति करते हुए इन गतशीलता को नरुयंतरति करना स्थायी शांति के लरुि महत्त्वपूरण होगा।
- **नरुंतर उग्रवाद:** कषुेत्र में जारी उग्रवाद के कारण अलग-अलग समूहों या अन्य वदुरोही गुटों दुरा शांति समझौते का पालन करने से इंकार करने की संभावना बढ़ जाती है, जसुिसे हसुरा और अस्थरिता बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है।


आगे की राह

- **प्रभावी पुलसुिगि:** प्रभावी कानून प्रवर्तन की अनुपस्थति ने सशस्त्र हसुरा को बढ़ावा दुरी है। सुशासन और नागरकि अधिकारों दुरा समरुथति कुशल पुलसुिगि वुयवस्था एवं सुरकषा बहाल करने हेतु आवशुयक है।
 - उदाहरण के लरुि त्रपुरा में स्थानीय नेताओं को शामिल करके सामुदायकि पुलसुिगि पहल से वशुवास का नरुिमाण हो सकता है तथा सुरकषा में सुधार हो सकता है।
- **संवाद और बातचीत:** शांतिपूरण समाधान केवल वदुरोही समूहों के साथ संवाद और बातचीत के माधुयम से ही प्राप्त कुरी जा सकता है।
 - त्रपुरा सरकार जातीय समूहों के साथ संवाद कायम रख सकती है तथा नागरकि समाज के साथ एक औपचारकि मंच स्थापति कर सकती है ताकि हाशुयि पर पड़े लोगों की आवशुयकताएँ पूरी की जा सकें।
- **आरुथकि वकुरीस:** आरुथकि वकुरीस में नरुिष और रोज़गार सृजन के अवसर उत्पन्न करने से वैकल्पकि आजीवकि उपलब्ध कराकर तथा गरीबी को कम करके उग्रवाद के मूल कारणों का समाधान कुरी जा सकता है।
 - त्रपुरा बाँस मशिन जैसी पहलों का वसुितार करने और बुनरुयादी ढाँचे में सुधार करने से रोज़गार सृजति हो सकते हैं, युवाओं को वैकल्पकि आजीवकि प्रदान की जा सकती है तथा ग्रामीण कषुेत्रों में आरुथकि स्थति को बेहतर बनाया जा सकता है, जसुिसे उग्रवादी भरुती की प्रवृत्ति कम हो सकती है।
- **राजनीतकि प्रतनुिधितुव:** जातीय समुदायों के लरुि परुयाप्त राजनीतकि प्रतनुिधितुव सुनशुचति करने से, वशुवास का नरुिमाण करने और उनकी चतिओं को दूर करने में सहायता मलि सकती है।
 - त्रपुरा की सुवायतत जुरी परसुिदों की तरह स्थानीय शासन में स्थानीय नेताओं को शामिल करने से समुदाय का प्रतनुिधितुव सुनशुचति होता है। नरुिषकष चुनारी प्रकुररुया और राज्य वधुिानसभा में प्रतनुिधितुव भी समुदायों को सशक्त बनाता है।
 - सांस्कृतकि संरकषण: पूरवोत्तर के जातीय समुदायों की वशुषिट सांस्कृतकि वरुिसत का सम्मान करने और उसे बढ़ावा देने से उनमें अपनेपन की भावना बढ़ेगी तथा हाशुयि पर होने की भावना कम होगी।
 - खरुची महोत्सव जैसे उत्सवों को बढ़ावा देना तथा स्थानीय इतहिस और संस्कृतुि को स्कूल पाठुयकुरम में शामिल करना।

नरुिषकुरष

त्रपुरा में हाल ही में हुआ शांति समझौता कषुेत्र में स्थरुिता और वकुरीस की दशुि में एक आशाजनक मोड़ दरुशाता है। हालाँकि इसके कारुयानुवयन के लरुि उन अंतरनुिधितु चतिओं का समाधान करना आवशुयक होगा, जनुिहोंने दशुकों से उग्रवाद को बढ़ावा दुरी है।

//



UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

??????:

प्रश्न. भारत के संवधान की कसि अनुसूची में कृछ राज्यों में अनुसूचति क्षेत्रों के प्रशासन और नयितरण के लयि वशिष प्रावधान हैं? (2008)

- (a) तीसरा
- (b) पाँचवाँ
- (c) सातवाँ
- (d) नौवाँ

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न 1. मानवाधकार सक्रयितावादी लगातार इस वचिार को उजागर करते हैं कसि सशस्त्र बल (वशिष शक्तयिँ) अधनियम, 1958 (AFSP) एक कूर अधनियम है, जससे सुरक्षा बलों द्वारा मानवाधकार के दुरुपयोगों के मामले उत्पन्न होते हैं। इस अधनियम की कौन-सी धाराओं का सक्रयितावादी वशिध करते हैं? उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त वचिार के संदर्भ में इसकी आवशयकता का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजयि। (2015)

प्रश्न 2. भारत का उत्तर-पूर्वीय प्रदेश बहुत लम्बे समय से वदिरोह-ग्रसति है। इस प्रदेश में सशस्त्र वदिरोह की अतजिवति के मुख्य कारणों का वशि्लेषण कीजयि। (2017)

